

दिनांक: 26.02.2018

वकील उभय पक्ष उपस्थित। अभि० अप्रार्थी ने फार्म नं० 3 मय नकल फैसला दावा तारीख 05.01.18 पेश किया। शामिल मिसिल किया गया। उन्होंने बताया कि एस. डी.ओ. बयाना ने प्रकरण में निर्णय किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। एस.डी.ओ. बयाना के द्वारा निर्णय कर दिये जाने से यह मुन्तकली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर,
भरतपुर